संख्या 40 /2018/यू0ओ0 152/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-96 जी/2000 -न्याय-2

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2018**

विषय- नव सृजित जनपद न्यायालय हापुड़ के सीजेएम के उपयोगार्थ एक नई महेन्द्रा बोलेरो वाहन के क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक (न्यायिक)(बजट) के पत्रसं0-476/एडमिन, दिनांक 08 मार्च,2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नव सृजित जनपद न्यायालय हापुड़ के सीजेएम के उपयोगार्थ एक नई महेन्द्रा बोलेरो वाहन के क्रय हेतु **रू0 7,20,251/- (रू0 सात लाख बीस हजार दो सौ इक्यावन मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृत किए जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- वाहन का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा ।
2- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च,2018 के पूर्व अवश्य कर लिया जायेगा।
3- वाहन क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा करा दिया जायेगा ।
4- वाहन की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014- न्याय प्रशासन- 00- 108-दण्ड न्यायालय-03-नियमित अधिष्ठान-00-14-मोटर गाड़ियों का क्रय '' के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-474/दस-2018, दिनांक 23 मार्च,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संं0- 40 /2018/यू0ओ0 152 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलहाबाद ।
5- न्याय अनुभाग-2 ।
6- वित्त ई- 12 ।
7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।